



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – फतेहगढ़- 112

दिनांक :- 04.08.2024

पीआरवी-2673 के कर्मियों द्वारा काँवड़ियों की मोटर साइकिल फिसलने की सूचना पर घायल युवक को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

दिनांक 03.08.2024 को समय 23.09 बजे काँवड़ियों की मोटर साइकिल स्थान-महमूद गढ़िया थाना राजेपुर के पास फिसल गयी है, जिसमें गम्भीर चोट आयी है। पीआरवी अपने निर्धारित प्वाइंट पर मौजूद थी। पीआरवी ने फील्ड इवेण्ट बनवाकर तत्काल घायल रवि राठौर पुत्र रामदेव राठौर निवासी पखड़िया हकीम जनपद शाहजहाँपुर को सीएचसी राजेपुर ले जाकर भर्ती कराया तथा उनके परिजनों को जरिए दूरभाष घटना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

पीआरवी कर्मियों की तत्परता और सजगता के चलते समय से घायल युवक को अस्पताल भेजा जा सका। पीआरवी कर्मियों द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसकी आम जन मानस द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

पीआरवी यूपी-32-डीजी-2673 कर्मियों के नाम:-

1. आ0 अजय सिंह
2. आ0 अनुज मलिक
3. आ0चा0 चन्द्र प्रकाश

(मीडिया सेल फतेहगढ़)



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – फतेहगढ़- 112

दिनांक :- 04.08.2024

पीआरवी-5604 के कर्मियों द्वारा घायल काँवड़िया को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

दिनांक 03.08.2024 को समय 23.38 बजे निविया चौराहे के पास सड़क किनारे एक बाइक सवार काँवड़िया काजू सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी इटोरिया जलालपुर जनपद बरेली घायल अवस्था में पड़ा था। पीआरवी कर्मियों द्वारा विलम्ब न करते हुए फील्ड इवेण्ट बनवाकर घायल को उपचार हेतु सीएचसी राजेपुर भर्ती कराया गया।

पीआरवी कर्मियों की तत्परता और सजगता के चलते समय से घायल युवक को अस्पताल भेजा जा सका। पीआरवी कर्मियों द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसकी आम जन मानस द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

पीआरवी यूपी-32-डीजी-5604 कर्मियों के नाम:-

1. मु0आ0 रवीन्द्र सिंह
2. आ0 राहुल कुमार
3. हो0गा0चा0 अमित कुमार

(मीडिया सेल फतेहगढ़)



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 04.08.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस के द्वारा लूट के अभियोग से सम्बन्धित शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(6)/115(2)/109 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त गगन बाल्मीकि पुत्र सुखराम निवासी मो0 तलैया फजल इमाम थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को दिनांक 04.08.2024 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



घटना का संक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(6)/115(2)/109 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त ईशू पुत्र श्रीकान्त पाण्डेय निवासी मो0 जटवारा थाना कोतवाली फर्रु0 जिसको दिनांक 01.08.2024 की प्रातः ई-रिक्शा चालक बृजेश कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी पल्ला गल्ला मण्डी कोत0 फर्रुखाबाद का ई-रिक्शा लूटने व घायल कर मरणासन्न हालत में छोड़ कर भाग जाने के सम्बन्ध में अभियोग में कल दिनांक 03.08.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, गिरफ्तारशुदा ईशू उपरोक्त ने लूट की घटना में अपने अन्य साथियों का जिक्र किया गया था। प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त के मसकन व मिलने के स्थानों पर दबिशें दी गयी। उसी क्रम में आज दिनांक 04.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर रायपुर व बाबानगला के बीच बनी पुलिया के पास से अभि0 गगन बाल्मीकि पुत्र सुखराम निवासी मो0 तलैया फजल इमाम थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

पूछताछ के दौरान अभियुक्त गगन बाल्मीकि उपरोक्त ने जुर्म को स्वीकार करते हुये कहा कि साहब गलती हो गयी मुझे माफ कर दो।

आपराधिक इतिहास गगन उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0160/24 धारा 309(6)/115(2)/109/317(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

ई-रिक्शा चालक की टिर्नी में रखी आधारकार्ड/शैक्षिक दस्तावेज आदि प्रपत्र।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस:-

1. प्र0नि0 श्री अमित गंगवार
2. अपराध निरी0 श्री गोविन्द हरि वर्मा
3. उ0नि0 श्री तरुण सिंह
4. हे0का0 सतेन्द्र
5. का0 रवि

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 04.08.2024

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा गौवध अधिनियम में वाँछित/इनामिया 01
अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री जय सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु०अ०सं० 36/2024 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वाँछित/25 हजार का इनामिया अभियुक्त शमसुल खां पुत्र मैसर खां निवासी इकलहरा थाना कम्पिल को शंकरपुर-सिवारा रोड पर गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

शमसुल खां पुत्र मैसर खां निवासी इकलहरा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त शमसुल उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा।

बरामदगी का विवरण:- निला।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 36/2024 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र चौधरी
2. उ०नि० श्री मुनीर खान
3. का० सुमित कुमार
4. का० धर्मेन्द्र
5. HC अनुराग कुमार (सर्विलांस)

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 04.08.2024

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 203/24 धारा 303(2)/317(2) BNS में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना कादरीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 203/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस मे प्रकाश में आया 01 अभियुक्त सौरभ राजपूत पुत्र अशोक कुमार निवासी बंगसपुरा कोहना थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल संख्या UP76L4065 सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सौरभ राजपूत पुत्र अशोक कुमार निवासी बंगसपुरा कोहना थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण :- दिनांक 28.07.2024 को समय लगभग 05.00 बजे पांचालघाट से बाइक चोरी की सूचना के सम्बन्ध में वादी लवकुश पुत्र मनोहर लाल ग्राम चाचूपुर जटपुरा , पोस्ट कनकापुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0- 203/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में दिनांक 04.08.2024 को उ0नि0 कल्पेश चौधरी मय हमराह का0 अभिषेक चौधरी मय का0 शैलेश मिश्रा चौकी क्षेत्र पांचाल घाट थाना कादरीगेट पर संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग की चैकिंग कर रहे थे चैकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त सौरभ राजपूत पुत्र अशोक कुमार निवासी बंगसपुरा कोहना थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को श्मशान घाट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ से चोरी की गयी मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस संख्या UP76L4065 सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त सौरभ राजपूत उपरोक्त ने बताया कि यह मोटर साइकिल मैने पांचालघाट से चोरी की थी साहब गलती हो गयी मुझे माफ कर दो ।

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस संख्या UP76L4065 रंग काला

अभियुक्त सौरभ राजपूत का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 203/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री कल्पेश चौधरी थाना कादरीगेट
2. का0 अभिषेक चौधरी थाना कादरीगेट
3. का0 शैलेश मिश्रा थाना कादरीगेट

मीडिया सेल फतेहगढ़।

